



# Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

---

CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2013  
(BHADRA 14, 1935 SAKA)

---

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

## Notification

The 5th September, 2013

**No. 12—HLA of 2013/57.**—The Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

**Bill No. 12—HLA of 2013**

## THE HARYANA MOTOR VEHICLES TAXATION BILL, 2013

A

BILL

*to consolidate and amend the law relating to levy of a tax on  
motor vehicles in the State of Haryana.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, Short title, 2013.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "appellate authority" means an officer appointed by the Government for the purposes of this Act;

- (b) "licence" means licence issued under this Act;
- (c) "licensing officer" means an officer appointed by the State Government for the purposes of this Act;
- (d) "owner" means a person in whose name a motor vehicle stands registered, and where such person is a minor, the guardian of such minor, and in relation to a motor vehicle which is the subject of a hire-purchase, agreement, or an agreement of lease or an agreement of hypothecation, the person in possession of the vehicle under that agreement;
- (e) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (f) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (g) "tax" means the tax leviable under this Act.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 56 of 1988).

Levy of tax on motor vehicles.

3. (1) Subject to other provisions of this Act, there shall be levied and collected a tax on all motor vehicles used or kept for use in Haryana, at such rates and penalties, as may be specified by the State Government, by notification from time to time :

Provided that the rates of tax shall not exceed the maximum limit as has been specified in the Schedule.

(2) The notification issued under sub-section (1) shall specify the type of motor vehicles on which the periods for which and the manner in which, the tax shall be levied.

(3) The amount of tax, penalty or any other sum payable under the provisions of this Act shall be rounded off to the next tenth.

Declaration, payment of tax and grant of licence.

4. (1) Every owner or person keeping possession or control of a motor vehicle shall fill up and sign a declaration in the prescribed form and shall submit the same to the licensing officer within a period of 30 days from the date of keeping the motor vehicle in the State and shall deposit the amount of tax as applicable.

(2) Where a tax in respect of a motor vehicle is paid by any person for a particular period, the licensing officer shall grant to such person a licence, in prescribed form, valid throughout the State:

Provided that where a one time tax is payable under this Act, payment of such tax by any person shall be recorded in the certificate of registration and no licence shall be granted to such person.

(3) No motor vehicle shall be used or kept for use in the State unless the tax levied under section 3 has been paid in respect of such vehicle.

5. If as a result of revision of rates of tax levied under this Act, a motor vehicle in respect of which tax has been paid for a particular period, becomes liable to tax at higher rate at any time during such period, the owner or any person having possession or control of the motor vehicle, shall be liable to pay additional tax equal to the difference between the tax already paid and the tax which becomes payable at higher rate due to such revision, within the time specified in the notification issued under section 3, for the remainder of such period.

Obligation on revision of rates of tax.

6. If the tax leviable in respect of any motor vehicle remains unpaid by any person liable for the payment thereof and such person, before paying the tax, has transferred the ownership of such motor vehicle or has ceased to be in possession or control of such motor vehicle, the person to whom the ownership of the motor vehicle has been transferred or the person who is in possession or control of such motor vehicle, shall be liable to pay the said tax :

Liability to payment of tax on transfer of motor vehicle.

Provided that nothing contained in this section shall be deemed to affect the liability to pay the said tax of the person who has transferred the ownership or has ceased to be in possession or control of such motor vehicle.

7. (1) When any motor vehicle in respect of which a tax for any period is payable or has been paid, is altered during such period, or proposed to be used during such period in such manner as to cause the motor vehicle in respect of which a higher rate of tax is payable, the owner or the person who has possession or control of the motor vehicle, shall in addition to the tax, if any, due from him for that period be liable to pay for the unexpired portion of such period since the motor vehicle is altered or proposed to be used, an additional tax equal to the difference between the amount of tax payable for such unexpired period at the higher rate and the rate at which the tax was payable or paid before the alteration or use of the vehicle for that period.

Liability for additional tax and additional declaration.

(2) When the owner or person keeping possession or control of motor vehicle becomes liable to the payment of additional tax under sub-section (1), he shall fill up, sign and deliver an additional declaration in the prescribed form within the time specified in the notification issued under section 3, and shall alongwith such additional declaration, pay the additional tax.

(3) On receipt of the additional tax, the licensing officer shall issue to the owner or the person who has possession or control of the motor vehicle, a fresh licence in place of the original licence or shall cause an entry of such payment to be made in the certificate of registration, as the case may be.

8. (1) If on receipt of any information, the licensing officer discovers that the tax has not been correctly paid in respect of a motor vehicle, or the owner has not furnished declaration as provided in sub-section (1) of section 4 or the

Re-determination of tax.

additional declaration as provided in sub-section (2) of section 7, or has given inaccurate particulars in the declaration or the additional declaration, as the case may be, the licensing officer may, at any time, and after giving the owner, a reasonable opportunity of being heard, proceed to determine or re-determine the tax payable.

(2) The licensing officer may, at any time, and subject to such conditions, as may be prescribed, rectify any clerical or arithmetical error apparent from the record.

Service of notice to make declaration and to pay tax.

9. The licensing officer may direct a notice to be served upon any person requiring such person to fill up and sign a declaration, to be endorsed with such notice, stating that such person is liable to the payment of tax and to pay the tax to which he appears by such declaration to be liable, to the person named therein before the expiry of fourteen days from the date of service of such notice.

Penalty and interest for delay in payment of tax.

10. (1) Where the tax due in respect of any motor vehicle has not been paid by the owner or the person having the possession or control thereof, within the specified time, then in addition to payment of the tax due, he shall also be liable to pay penalty, at such rate, as may be specified in the notification issued under section 3 :

Provided that the total amount of penalty shall not exceed twice the amount of tax due where a one time tax is payable, and five times the amount of tax due for a year where the tax is payable on any other basis.

(2) Where the owner of a motor vehicle fails to pay the tax due under section 3 or the penalty under sub-section (1), he shall in addition to the amount of tax and penalty, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and penalty, at the rate of one and half percent per month, from the date immediately following the last date for the submission of declaration as provided in section 4 or from the date specified in the order passed by the Licensing Officer imposing the penalty, or, if no period is specified in the order, then from the 15th day from the date of the order, as the case may be, to the time till the default continues.

Owner to furnish security.

11. (1) Where an owner makes a default in the payment of tax or penalty under this Act, for a continuous period of two months or more, the licensing officer, for the proper realization of the tax or penalty levied under this Act, shall, after giving an opportunity of being heard, require the owner of the motor vehicle to deposit as security, a sum equal to the amount of tax and/or penalty and interest due from him, in the manner prescribed.

(2) Where the security furnished by an owner of a motor vehicle under sub-section (1) is in the form of surety bond and the surety becomes insolvent or is otherwise incapacitated or dies or withdraws, such owner shall, within fifteen days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the licensing officer and shall within thirty days of such occurrence, furnish a fresh surety bond.

(3) The licensing officer, may by an order in writing for good and sufficient cause and after giving the owner a reasonable opportunity of being heard, forfeit the whole or any part of the security furnished by such owner for realising any amount of tax or penalty payable by him under this Act.

(4) Where by reason of an order under sub-section (3), the security furnished by such owner is rendered insufficient, he shall make up the deficiency in such manner and within such time, as may be prescribed.

(5) The licensing officer may, on an application by such owner, release the security furnished by him or any part thereof, if the same is no longer required to be retained for the purposes of this Act.

12. (1) An owner of a transport vehicle may be required to maintain such accounts as may be prescribed and to submit the same to the licensing officer as and when required. Maintenance of accounts.

13. (1) Any officer specified by the Government may require the driver of a transport vehicle in any public place to stop that motor vehicle and cause it to remain stationary so long as may reasonably be necessary for the purpose of satisfying himself that the tax has been duly paid in respect of such motor vehicle. Power to stop the motor vehicle and search by certain officers.

(2) The officer referred to in sub-section(1) may use such force or cause to use such force and take such steps or cause to take such steps, to stop the moter vehicle, as may be necessary and search the motor vehicle for the purpose of satisfying himself.

(3) Any officer referred to in sub-section (1) may for the purposes of this Act, enter at any time between sun rise and sun set, in any premises, where he has reason to believe that a motor vehicle is kept in contravention of the provisions of this Act.

14. Any tax, penalty, interest or fine due under this Act may be recovered as arrears of land revenue. Recovery of tax, penalty, interest or fine as on arrear of land revenue.

15. Without prejudice to the provisions of sections 10 and 14, where any tax, penalty, interest or fine in respect of any motor vehicle has not been paid, the officer under section 13 may seize and detain such motor vehicle and for this purpose take or cause to be taken such steps, as he may consider necessary, for the temporary safe custody of the vehicle, until the tax, penalty or interest is paid. Power to seize and detain motor vehicle.

16. (1) Nothing in this Act shall apply to an agricultural tractor, agricultural trailer, agricultural harvester, agricultural power-tiller and other agricultural machinery. Saving, exemption, reduction or other modification of tax.

(2) The Government may, by notification, exempt a person or class of persons from liability to pay the whole or part of the tax in respect of any motor vehicle or class of motor vehicles, and may exclude any motor vehicle or class of motor vehicles from the operation of this Act.

Appeal and  
revision.

17. (1) Any person aggrieved by an order relating to the assessment imposition or recovery of the tax or penalty may, within a period of thirty days, from the date of such order, file an appeal to the appellate authority.

(2) Save as provided in sub-section (3), an order passed by the appellate authority shall be final and conclusive.

(3) The Transport Commissioner may, of his own motion, call for the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by the licensing officer or the appellate authority for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto, as he may think fit.

(4) No order shall be passed under sub-section (3) which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

Protection of acts  
done in good  
faith.

18. No suits, prosecution, or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith, done or intended to be done under this Act or under the rules made there under.

Bar of jurisdiction  
of courts.

19. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of anything done, any action taken or any order or direction issued by the Government or any other authority or officer in pursuance of any power conferred by, or in relation to any functions under this Act.

Offences and  
fines.

20. (1) Whoever,—

- (a) keeps in his possession or control any motor vehicle, without having paid the amount of tax, due in accordance with the provisions of this Act in respect of such vehicle; or
- (b) fails to stop the motor vehicle when required to do so or obstructs an officer in the exercise of the powers conferred by section 13,

shall on conviction be punishable for the first offence with fine which shall not be less than twenty thousand rupees and may extend to fifty thousand rupees and for any subsequent offence with fine which shall not be less than one lakh rupees and may extend to two lakh rupees.

(2) When any offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence punishable under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any Secretary, Director, Manager, or other officer of the company, such Secretary, Director, Manager, or other officer, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.**— For the purpose of this section—(a) “Company” means any corporate body and includes a firm or other association of individuals; and  
(b) “Director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

21. (1) Any offence committed under this Act may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officer and for such amount as the Government may, by notification, specify in this behalf. Compounding of offences.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the offender in respect of such offence.

22. No Court inferior to that of a Judicial Magistrate of a First class, shall try any offence punishable under this Act. Trial of offences.

23. The Government may, after previous publication, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act. Power to make rules.

24. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, after previous publication by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulties.

25. (1) The Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924, is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purporting to have been taken in exercise of any powers conferred by the said Act shall be deemed to have been done or taken under this Act and all arrears of tax and other amounts due at the commencement of this Act may be recovered as if they had accrued under this Act.

**SCHEDULE**  
(see section 3)

Sr. No.	Categories of motor vehicles	Maximum rate of tax
1	2	3
<b>1. Non-transport vehicles</b>		
	(i) Motor-cycle, motor car and invalid carriage.	20% of the cost of motor vehicle on one time basis.
	(ii) Excavator, Loader, Backhoe, Compactor Roller, Road Roller, Dumper, Motor Grader, Mobile Crane, Dozer, Fork Lift Truck, Self-Loading Concrete Mixer or any other construction equipment vehicle, Camper Van or Trailer for private use, Vehicles or Trailers fitted with equipments like rig, generator, compressor etc., Crane Mounted Vehicle, Tow Truck, Brake-down Van, Recovery Vehicle, Tower Wagon and Tree Trimming Vehicle or any other non-transport vehicle not covered under any category :	
	(a) Purchased as chassis	30% of the cost of chassis on one time basis.
	(b) Purchased with complete body	20% of the cost of motor vehicles on one time basis.
<b>2. Transport vehicles</b>		
	(i) Contract Carriage including All India Tourist Vehicles :	
	(a) Motor vehicle with seating capacity upto 12+1	Rs. 5,00,000 on one time basis. or Rs. 50,000 per year.
	(b) Motor vehicle with seating capacity above 12+1	Rs. 10,00,000 on one time basis. or Rs. 1,00,000 per year.
	(ii) Private Service Vehicle	Rs. 7,50,000 on one time basis. or Rs. 75,000 per year.
	(iii) Educational Institution Vehicle	Rs. 2,00,000 on one time basis. or Rs. 20,000 per year.



1	2	3
	(iv) Stage Carriage registered in Haryana	Rs. 7,50,000 on one time basis. or Rs.75,000 per year.
	(v) Goods Carriages including Agricultural Tractor – Trailer combination not used for agricultural purpose.	Rs. 10,00,000 on one time basis. or Rs. 1,00,000 per year.
	(vi) Fire Tender, Snorked Ladder, Mobile Clinic, X-Ray Van, Ambulance, Animal Ambulance, Hearse, Library Van, Mobile Workshop, Mobile Canteen, Cash Van, Camper Van or Trailer for other than private use, and Agricultural Tractor, Agricultural Trailer & Power Tiller used for non-agricultural purpose.	Rs. 5,00,000 on one time basis. or Rs. 50,000 per year.
3.	<b>Any other vehicle registered in Haryana not covered above.</b>	Rs. 10,00,000 on one time basis. or Rs.1,00,000 per year.
4.	<b>Vehicles of other States when entering and plying in Haryana</b>	
	(i) Stage Carriage	Rs. 5000/- per day.
	(ii) Contract Carriage including All India Tourist Vehicle :	
	(a) Motor vehicle with seating capacity upto 12+1	Rs. 5000 per day.
	(b) Motor vehicle with seating capacity above 12+1	Rs.10,000 per day.
	(iii) Private Service Vehicle	Rs. 4000 per day.
	(iv) Educational Institution Vehicles	Rs. 2000 per day.
	(v) Goods Carriage	Rs. 1000 per day.
	(vi) Any other vehicle registered in any other State not covered above.	Rs. 20000 per day.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013 consolidates and amends the law relating to imposition of tax on motor vehicles. The existing enactment relating to imposition of tax on motor vehicles is the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924 (No. 4 of 1924) which was adapted by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968, for its application in the State of Haryana.

Many changes have taken place in the transport sector since the enactment of the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924. The number of motor vehicles has increased substantially in the last two decades. Payment of tax on quarterly basis is becoming inconvenient for the owners of the motor vehicles. Besides, there remains scope for evasion of tax also. It was felt necessary to bring out a comprehensive legislation keeping in view the changes in the transport sector.

The Bill aims to improve tax compliance by simplifying and rationalizing the procedure of collection of tax. It is intended to make the existing law more effective by strengthening the existing provisions and including additional provisions. The Bill, *inter alia*, envisages levying of tax for any periodicity, payment of additional tax in case of revision of tax, liability to pay tax on transfer of motor vehicle, liability to pay tax on change of use of motor vehicle, powers to check and detain motor vehicle in case of non-payment of tax and re-determination of tax in cases where the tax has been incorrectly paid.

In view of the extensive changes made in the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924, it has been considered necessary to repeal the said Act and enact the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013.

BHUPINDER SINGH HOODA,  
Chief Minister, Haryana.

-----

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :  
The 5th September, 2013.

SUMIT KUMAR,  
Secretary.

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The object of the Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013 is to consolidate and amend the existing law relating to imposition of tax on motor vehicles. It will not lead to any additional financial burden on the State Exchequer.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 23 of the proposed bill empowers State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[ प्राधिकृत अनुवाद ]

2013 का विधेयक संख्या 12 — एच० एल० ए०

**हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2013**

हरियाणा राज्य में मोटर यानों पर कर के  
उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधि को  
समेकित तथा संशोधित  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2013 कहा जा संक्षिप्त नाम। सकता है।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

- (क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;
- (ख) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति;
- (ग) "अनुज्ञापन अधिकारी" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी;
- (घ) "स्वामी" से अभिप्राय है, व्यक्ति जिसके नाम मोटर यान पंजीकृत है तथा जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, ऐसे नाबालिग का अभिभावक तथा मोटर यान जो भाटक-क्रय, करार या पट्टे का करार या बन्धक रखने के करार के अध्वधीन है, के संबंध में उस करार के अधीन यान का कब्जा रखने वाला व्यक्ति;
- (ङ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (च) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (छ) "कर" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 56) में दिए गए हैं।

3. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हरियाणा में उपयोग मोटर यानों पर कर के लिए प्रयुक्त या रखे गए सभी मोटर यानों पर कर, ऐसी दरों तथा शास्तियों पर, जो का उद्ग्रहण।

राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा .

परन्तु कर की दरें, अधिकतम सीमा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं से अधिक नहीं होंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना मोटर यानों जिन पर, अवधि जिसके लिए, तथा रीति जिसमें कर उद्गृहीत किया जाएगा, के प्रकार विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन भुगतानयोग्य कर, शास्ति या कोई अन्य राशि अगले दसवें तक पूर्णांकित की जाएगी।

घोषणा, कर का भुगतान तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

4. (1) किसी मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति विहित प्ररूप में घोषणा भरेगा तथा हस्ताक्षर करेगा तथा राज्य में मोटर यान रखने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर उसे अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा यथा लागू कर की राशि जमा करवायेगा।

(2) जहाँ किसी मोटर यान के सम्बन्ध में कर किसी विशेष अवधि के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है, तो अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को विहित प्ररूप में सम्पूर्ण राज्य के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा :

परन्तु जहाँ इस अधिनियम के अधीन एक बार में कर भुगतानयोग्य है, तो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर का भुगतान पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में अभिलिखित किया जाएगा तथा कोई भी अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी।

(3) राज्य में कोई भी मोटर यान तब तक प्रयुक्त नहीं किया जाएगा या उपयोग के लिए रखा नहीं जाएगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर का भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

कर की दरों के पुनरीक्षण पर बाध्यता।

5. इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर की दरों के पुनरीक्षण के परिणाम-स्वरूप, कोई मोटर यान जिसके सम्बन्ध में किसी विशेष अवधि के लिए कर का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी अवधि के दौरान किसी भी समय उच्चतर दर पर कर के लिए दायी हो जाता है, तो मोटर यान पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला स्वामी या कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के बकाया के लिए, धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे पुनरीक्षण तक पहले से भुगतान किये गये कर तथा देय उच्चतर दर पर कर जो भुगतानयोग्य हो जाता है, के बीच के अन्तर के बराबर अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिए दायी होगा।

मोटर यान के अन्तरण पर कर के भुगतान का दायित्व।

6. यदि किसी मोटर यान के सम्बन्ध में उद्ग्रहणीय कर उसके भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति द्वारा असंदत रहता है, तथा ऐसे व्यक्ति ने कर भुगतान से पहले, ऐसे मोटर यान का स्वामित्व अन्तरित कर दिया है या ऐसे मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण छोड़ दिया है, तो व्यक्ति जिसको मोटर यान का स्वामित्व अन्तरित हो गया है या व्यक्ति जो उसे मोटर यान को कब्जे में या नियन्त्रण में रखता है, उक्त कर के भुगतान के लिए दायी होगा :

परन्तु इस धारा में दी गई कोई भी बात, व्यक्ति जिसने ऐसे मोटर यान का स्वामित्व अन्तरित कर दिया है या कब्जा या नियन्त्रण छोड़ दिया है, उक्त कर के भुगतान के दायित्व को प्रभावी नहीं करेगी।

7. (1) जब किसी मोटर यान जिसके सम्बन्ध में किसी अवधि के लिए कर भुगतानयोग्य है या भुगतान कर दिया गया है, ऐसी अवधि के दौरान परिवर्तित किया गया है, या ऐसी अवधि के दौरान ऐसी रीति में उपयोग किये जाने के लिए प्रस्तावित है, मोटर यान जिसके सम्बन्ध में कर की उच्चतर दर भुगतानयोग्य है, स्वामी या व्यक्ति जो मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखता है, कर यदि कोई हो, के अतिरिक्त, उस अवधि के लिए उसकी तरफ देय ऐसी अवधि के असमाप्त भाग के लिए जब से मोटर वाहन प्रयोग किए जाने के लिए परिवर्तित या प्रस्तावित किया गया है, उच्चतर दर पर ऐसी असमाप्त अवधि के लिए भुगतानयोग्य कर की राशि तथा उक्त अवधि के लिए वाहन के परिवर्तन या उपयोग से पूर्व भुगतानयोग्य थी या भुगतान कर दी गई कर की राशि के बीच के अन्तर के बराबर की अतिरिक्त कर की राशि के भुगतान का दायी होगा।

अतिरिक्त कर तथा अतिरिक्त घोषणा के लिए दायित्व।

(2) जब मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखने वाला स्वामी या व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान के लिए दायी हो जाता है, तो वह धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित प्ररूप में अतिरिक्त घोषणा को भरेगा, हस्ताक्षर करेगा तथा परिदत्त करेगा, तथा ऐसी अतिरिक्त घोषणा सहित अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

(3) अतिरिक्त कर की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन अधिकारी स्वामी या व्यक्ति जो मोटर यान का कब्जा या नियन्त्रण रखता है, को मूल अनुज्ञापन के स्थान पर एक नई अनुज्ञापन जारी करेगा या पंजीकरण प्रमाण पत्र में किये गये ऐसे भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, की प्रविष्टि करवायेगा।

8. (1) किसी सूचना की प्राप्ति पर, यदि अनुज्ञापन अधिकारी को पता चलता है कि मोटर यान के सम्बन्ध में कर का ठीक रूप से भुगतान नहीं किया है, या स्वामी ने धारा 4 की उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित घोषणा या धारा 7 की उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं की है, या घोषणा या अतिरिक्त घोषणा, जैसी भी स्थिति हो, में गलत विशिष्टियां दी हैं, तो अनुज्ञापन अधिकारी, किसी भी समय, तथा स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, भुगतानयोग्य कर का निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाही कर सकता है।

कर का पुनः निर्धारण।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी, किसी भी समय, तथा यथा विहित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अभिलेख में प्रकट किन्हीं लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों को ठीक कर सकता है।

9. अनुज्ञापन अधिकारी किसी व्यक्ति को तामील किये जाने वाले नोटिस में निदेश दे सकता है कि ऐसे नोटिस सहित पृष्ठांकित की जाने वाली घोषणा को भरने तथा हस्ताक्षर करने के लिए ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करते हुए ऐसे नोटिस की तामील की तिथि से चौदह दिन की समाप्ति से पूर्व उसमें नामित व्यक्ति को बतते हुए कि ऐसा घोषणा करने तथा कर भुगतान करने के लिए नोटिस तामील करना।

व्यक्ति कर के भुगतान के लिए दायी है तथा ऐसी घोषणा के द्वारा दायी होने के रूप में उसे प्रतीत कर का भुगतान करे।

कर के भुगतान में  
देश के लिए शास्ति  
तथा ब्याज।

10. जहां किसी मोटर यान के सम्बन्ध में उस पर कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले स्वामी या व्यक्ति द्वारा देय कर का भुगतान विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है, तो वह देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट, दर पर, शास्ति के भुगतान के लिए भां दायी होगा :

परन्तु शास्ति की कुल राशि जहां एक बार में कर भुगतानयोग्य है, देय कर की राशि के दुगने तथा अन्य आधारों पर जहां कर वर्ष के लिए भुगतानयोग्य है देय कर की राशि के पांच गुणा से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां मोटर यान का स्वामी धारा 3 के अधीन देय कर या उप-धारा (1) के अधीन शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह कर तथा शास्ति की राशि के अतिरिक्त धारा 4 में यथा उपबन्धित घोषणा की प्रस्तुति की अन्तिम तिथि की तुरन्त आगामी तिथि से या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा पारित शारित अधिरोपित करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से, या, यदि आदेश में अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है, तब आदेश की तिथि के पन्द्रहवें दिन से, जैसी भी स्थिति हो, चूक के चालू रहने के समय तक, प्रतिमास डेढ़ प्रतिशत की दर पर देय कर तथा शास्ति की राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

स्वामी का प्रतिभूति  
प्रस्तुत करना।

11. (1) जहां स्वामी इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति का भुगतान करने में लगातार दो मास या अधिक की अवधि के लिए चूक करता है, तो अनुज्ञापन अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर या शास्ति की उचित वसूली के लिए, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, विहित रीति में उसकी तरफ देय कर तथा/ या शास्ति तथा ब्याज की राशि के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवाने के लिए मोटर यान के स्वामी से अपेक्षा करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन मोटर यान के स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति बन्धपत्र के रूप में है तथा जमानती दिवालिया हो गया है या अन्यथा असमर्थ हो गया है या की मृत्यु हो गई है या वापस लेता है, ऐसा स्वामी उपरोक्त किन्हीं भी घटनाओं के होने के पन्द्रह दिनों के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी को सूचित करेगा तथा ऐसा होने के तीस दिन के भीतर नया प्रतिभूति बन्धपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी, सही तथा पर्याप्त कारण के लिए लिखित में आदेश द्वारा तथा स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा भुगतानयोग्य कर या शास्ति की राशि की वसूली के लिए ऐसे स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के सम्पूर्ण या किसी भाग को जब्त कर सकता है।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के कारण ऐसे स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति अपर्याप्त हो गई है, तो वह ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, कमी को पूरा करेगा।



(5) अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसे स्वामी द्वारा आवेदन पर, उस द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को उन्मुक्त कर सकता है, यदि यह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिक समय तक रखे जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।

12. (1) परिवहन यान का कोई स्वामी ऐसे लेखे जो विहित किए जाएं, के रख-रखाव के लिए अपेक्षित होगा तथा जब कभी अपेक्षित हो उन्हें अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

लेखों का रख-रखाव।

13. (1) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान के चालक से उक्त मोटर यान को रोकने की अपेक्षा कर सकता है तथा इसे ऐसी अवधि तक खड़ा रख सकता है जब तक कि ये युक्तियुक्त रूप में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो कि ऐसे मोटर यान के संबंध में कर का सम्यक् रूप से भुगतान कर दिया गया है।

कतिपय अधिकारियों द्वारा मोटर यान को रोकने तथा तलाशी लेने की शक्ति।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी मोटर यान को रोकने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या ऐसे बल का प्रयोग करवा सकता है तथा ऐसे कदम उठा सकता है या उठवा सकता है जो आवश्यक हो तथा स्वयं की संतुष्टि के लिए ऐसे मोटर यान की तलाशी ले सकता है।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किन्हीं परिसरों में, जहां उसके पास विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में रखा गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।

14. इस अधिनियम के अधीन देय कोई कर, शास्ति, ब्याज या जुर्माना भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा।

कर, शास्ति, ब्याज या जुर्माने की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली।

15. धारा 10 तथा 14 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी मोटर यान के संबंध में कोई कर, शास्ति, ब्याज या जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया है, धारा 13 के अधीन अधिकारी ऐसे मोटर यान को जब्त तथा निरुद्ध रख सकता है तथा जब तक कर, शास्ति या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है यान की अस्थाई सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे कदम, जो इस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक समझे, उठा सकता है अथवा उठवा सकता है।

मोटर यान को जब्त तथा निरुद्ध रखने की शक्ति।

16. (1) इस अधिनियम की कोई भी बात, कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर, कृषि यंत्र, कृषि पॉवर-टीलर तथा अन्य कृषि मशीनरी को लागू नहीं होगी।

कर की बचत, छूट, कटौती या अन्य परिवर्तन।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को किसी मोटर यान या मोटर यानों की श्रेणी के संबंध में सम्पूर्ण कर या उसके भाग के भुगतान के दायित्व से छूट दे सकती है, तथा इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसी मोटर यान या मोटर यानों की श्रेणी को अलग कर सकती है।

17. (1) कर या शास्ति के निर्धारण, अधिरोपण या वसूली के संबंध में आदेश से च्युति कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है।

अपील तथा पुनरीक्षण।

(2) उप-धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम तथा निर्णायक होगा।

(3) परिवहन आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किन्हीं कार्यवाहियों को जो उसके सम्मुख लम्बित हैं, या अनुज्ञापन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटान की गई हों, ऐसी कार्यवाहियों या उसमें किए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए अभिलेख मांग सकता है तथा उसके संबंध में ऐसे आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

सदभावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण।

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

19. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या किन्हीं कृत्यों के संबंध में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा की गई किसी बात या की गई कार्यवाही या जारी किए गए आदेश या निर्देश के संबंध में कोई वाद ग्रहण करने या कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी।

अपराध तथा जुर्माने

20. (1) जो कोई भी,-

(क) किसी मोटर यान को ऐसे यान के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार में देय कर की सशि का भुगतान किए बिना अपने कब्जे या नियन्त्रण में रखता है ; या

(ख) मोटर यान को रोकने में असफल रहता है जब ऐसा करना अपेक्षित हो या धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी अधिकारी को रोकता है,

सिद्धदोष होने पर प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा तथा जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध घटित होने के समय पर कम्पनी के प्रभार में था तथा कम्पनी के कारबार के संचालन हेतु कम्पनी के लिए जिम्मेवार था, अपराध किये जाने का दोषी समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगा तथा तदानुसार दण्डित किया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी, यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध उसकी जानकारी के

बिना किया गया था या ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(3) उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह सिद्ध हो गया है कि अपराध सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, तो ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगा तथा तदानुसार दण्डित किया जाएगा।

**व्याख्या**— इस धारा के प्रयोजन के लिए— (क) "कम्पनी" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय तथा इसमें फर्म या अन्य व्यक्ति निकाय शामिल है; तथा (ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्राय है, फर्म में भागीदार।

21. (1) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध चाहे अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या बाद, ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी राशि के लिए प्रशमित किया जाएगा जैसा कि सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अपराधों का प्रशमन।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध प्रशमित किया गया है, तो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरुद्ध कोई भी अगली कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

22. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। अपराधों का विचारण।

23. सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

24. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, पूर्व प्रकाशन के बाद, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समाचीन प्रतीत हों। कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

25. (1) पंजाब मोटर यान कराधान अधिनियम, 1924, इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कर के सभी बकाया तथा देय अन्य राशियां इस प्रकार वसूली जाएंगी मानो वे इस अधिनियम के अधीन प्रोदभूत थीं।

## अनुसूची

( देखिए धारा 3 )

क्रम संख्या	मोटर यानों के प्रवर्ग	कर की अधिकतम दर
1	2	3
1.	<b>गैर-परिवहन यान</b>	
(i)	मोटर-साईकल, मोटर कार तथा अवैध मालवाहक	एक बार के आधार पर मोटर यान की लागत का 20 प्रतिशत
(ii)	उत्खनक, लोडर, बैकहो, कम्पैक्टर रोलर, रोड रोलर, ड्रैम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोजर, फोरक लिफ्ट ट्रक, सैल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर या कोई अन्य निर्माण उपकरण यान, निजी प्रयोग के लिए कैंम्पर वैन या ट्रैलर उपकरणों के साथ फिट किए गए यानों या ट्रैलरों जैसे कि रिग जनरेटर, कम्प्रेसर इत्यादि, क्रेन माऊटिड यान, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैन तथा पेड छटाई यान या किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन न आने वाले कोई अन्य गैर-परिवहन यान:	
(क)	चैसिज के रूप में क्रय किया गया	एक बार के आधार पर चैसिज की लागत का 30 प्रतिशत।
(ख)	कम्पलीट बॉडी सहित क्रय किया गया	एक बार के आधार पर मोटर यान की लागत का 20 प्रतिशत।
2.	<b>परिवहन यान</b>	
(i)	अखिल भारतीय पर्यटक वाहनों सहित संविदा यान:	
(क)	12+1 तक बैठने की क्षमता सहित मोटर यान	एक बार के आधार पर 5,00,000/- रुपए या 50,000/- रुपए प्रति वर्ष
(ख)	12+1 से अधिक बैठने की क्षमता सहित मोटर यान	एक बार के आधार पर 10,00,000/- रुपए या 1,00,000/- रुपए प्रति वर्ष
(ii)	निजी सेवा यान	एक बार के आधार पर 7,50,000/- रुपए या 75,000/- रुपए प्रति वर्ष

1	2	3
(iii)	शैक्षणिक संस्था यान	एक बार के आधार पर 2,00,000/- रुपए या 20,000/- रुपए प्रति वर्ष
(iv)	हरियाणा में पंजीकृत स्टेज कैरिज	एक बार के आधार पर 7,50,000/- रुपए या 75,000/- रुपए प्रति वर्ष
(v)	कृषि प्रयोजन के लिए अप्रयुक्त कृषि ट्रैक्टर- ट्राली संयोजन सहित माल गाड़ियां	एक बार के आधार पर 10,00,000/- रुपए या 1,00,000/- रुपए प्रति वर्ष
(vi)	फायर टैंडर, स्नॉरकड लैंडर, मोबाइल क्लीनिक, एक्सरे वैन, एम्बुलेंस, पशु एम्बुलेंस, हीयरस लाइब्रेरी वैन, मोबाइल वर्कशाप, मोबाइल कैंटीन, कौश वैन, कैम्पर वैन या निजी प्रयोग से भिन्न के लिए ट्रेलर तथा गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रेलर तथा पॉवर ट्रेलर।	एक बार के आधार पर 5,00,000/- रुपए या 50,000/- रुपए प्रति वर्ष
3.	उपरोक्त के अन्तर्गत न आने वाले हरियाणा में पंजीकृत कोई अन्य यान।	एक बार के आधार पर 10,00,000/- रुपए या 1,00,000/- रुपए प्रति वर्ष
4.	अन्य राज्यों के यान जब हरियाणा में प्रवेश या चलाए जा रहे हों :	
(i)	स्टैज कैरिज	5,000/- रुपए प्रतिदिन
(ii)	संविदा यान जिसमें अखिल भारतीय पर्यटक यान शामिल है:	
	(क) 12+1 तक बैठने की क्षमता सहित मोटर यान	5,000/- रुपए प्रतिदिन
	(ख) 12+1 से अधिक बैठने की क्षमता सहित मोटर यान	10,000/- रुपए प्रतिदिन
(iii)	निजी सेवा यान	4,000/- रुपए प्रतिदिन
(iv)	शैक्षणिक संस्था यान	2,000/- रुपए प्रतिदिन
(v)	माल वाहन	1,000/- रुपए प्रतिदिन
(vi)	उपरोक्त के अन्तर्गत न आने वाले किसी अन्य राज्य में पंजीकृत कोई अन्य यान	20,000/- रुपए प्रतिदिन

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2013 मोटर यानों पर कर लगाए जाने से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधित करता है। वर्तमान में मोटर यानों पर कर लगाए जाने से संबंधित कानून पंजाब मोटर यान कराधान अधिनियम, 1924 (1924 का 4) है जिसे हरियाणा अनुरूप कानून आदेश, 1968 द्वारा हरियाणा राज्य में अनुप्रयोग के लिए अनुरूपित किया गया था।

पंजाब मोटर यान कराधान अधिनियम, 1924 के लागू होने के बाद परिवहन क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। पिछले दो दशकों में वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। परिवहन वाहनों के मालिकों के लिए तिमाही आधार पर कर की अदायगी असुविधाजनक होती जा रही है। इसके अतिरिक्त इसमें कर चोरी की गुंजाइश भी रहती है। परिवहन क्षेत्र में हुए बदलावों के मध्यनजर एक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की गई।

विधेयक का उद्देश्य कर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल तथा युक्तिसंगत बनाकर कर अनुपालन में सुधार करना है। मौजूदा प्रावधानों को मजबूत बनाकर तथा अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए मौजूदा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने का इरादा है। यह विधेयक अन्य बातों के साथ किसी भी अवधि के लिए कर लगाना, कर संशोधन के मामले में अतिरिक्त कर का भुगतान, मोटर यान के हस्तांतरण पर कर भुगतान का दायित्व, मोटर यान के उपयोग में परिवर्तन होने पर कर भुगतान का दायित्व, कर के भुगतान नहीं करने की अवस्था में मोटर यान को रोकने की शक्तियां तथा गलत तरीके से कर भुगतान के मामले में कर पुनर्निर्धारण की परिकल्पना करता है।

पंजाब मोटर यान कराधान अधिनियम, 1924 में किए गए व्यापक परिवर्तनों को देखते हुए उक्त अधिनियम को निरस्त करते हुए हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2013 को अधिनियमित करना आवश्यक माना गया है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,  
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 5 सितम्बर, 2013

सुमित कुमार,  
सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 5 सितम्बर, 2013 के हरियाणा गवर्नमेंट गज़ट (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

### वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा मोटर यान कराधान विधेयक, 2013 का उद्देश्य मोटर यानों पर कर लगाए जाने से संबंधित वर्तमान कानून को समेकित तथा संशोधित करना है। इससे राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

**प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन**

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 23 अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है। कार्यकारी को यह शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः प्रत्यायोजित विधान के संबंध में हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित ज्ञापन संलग्न है।